

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## मांग संख्या 18

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	3.00	179.26	182.26	6.00	197.01	203.01	6.00	184.89	190.89	3.00	196.94	199.94	
<b>पूँजी</b>	<b>30.00</b>	<b>10.89</b>	<b>40.89</b>	<b>34.00</b>	<b>12.00</b>	<b>46.00</b>	<b>81.36</b>	<b>14.00</b>	<b>95.36</b>	<b>25.00</b>	<b>14.00</b>	<b>39.00</b>	
<b>जोड़</b>	<b>33.00</b>	<b>190.15</b>	<b>223.15</b>	<b>40.00</b>	<b>209.01</b>	<b>249.01</b>	<b>87.36</b>	<b>198.89</b>	<b>286.25</b>	<b>28.00</b>	<b>210.94</b>	<b>238.94</b>	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	93.03	93.03	...	124.28	124.28	...	114.03	114.03	...	119.46	119.46
<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>													
2. संयुक्त स्टॉक कंपनी पंजीयक	3475	...	32.64	32.64	...	30.64	30.64	...	32.45	32.45	...	32.28	32.28
3. कंपनी अधिनियम तथा क्षेत्रीय निदेशकों के तहत शासकीय परिसमापक	3475	...	21.74	21.74	...	24.22	24.22	...	24.96	24.96	...	28.51	28.51
4. अन्य व्यय	3475	...	31.85	31.85	...	17.87	17.87	...	13.45	13.45	...	16.69	16.69
	5475	...	10.89	10.89	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
	7475	...	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>42.74</b>	<b>42.74</b>	<b>...</b>	<b>29.87</b>	<b>29.87</b>	<b>...</b>	<b>27.45</b>	<b>27.45</b>	<b>...</b>	<b>30.69</b>	<b>30.69</b>
5. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	3475	3.00	...	3.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00
	5475	30.00	...	30.00	34.00	...	34.00	81.36	...	81.36	25.00	...	25.00
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>33.00</b>	<b>...</b>	<b>33.00</b>	<b>40.00</b>	<b>...</b>	<b>40.00</b>	<b>87.36</b>	<b>...</b>	<b>87.36</b>	<b>28.00</b>	<b>...</b>	<b>28.00</b>
<b>जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>		<b>33.00</b>	<b>97.12</b>	<b>130.12</b>	<b>40.00</b>	<b>84.73</b>	<b>124.73</b>	<b>87.36</b>	<b>84.86</b>	<b>172.22</b>	<b>28.00</b>	<b>91.48</b>	<b>119.48</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>33.00</b>	<b>190.15</b>	<b>223.15</b>	<b>40.00</b>	<b>209.01</b>	<b>249.01</b>	<b>87.36</b>	<b>198.89</b>	<b>286.25</b>	<b>28.00</b>	<b>210.94</b>	<b>238.94</b>
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	33.00	...	33.00	40.00	...	40.00	87.36	...	87.36	28.00	...	28.00

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ), सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के लिए ई-शासन, ई-शासन परियोजना (एमसीए-21) तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदि के लिए सामान्य अनुदान सहायता का प्रावधान है।

<http://indiabudget.nic.in>

2. **संयुक्त स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इनका मुख्य कार्य रजिस्ट्री से संबंधित, पब्लिक व प्राइवेट कंपनियों के वार्षिक

विवरण, तुलन-पत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अन्य दस्तावेजों की जांच करना और इस जांच के परिणामस्वरूप सामने आने वाली अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करना है।

3.01. **कम्पनी अधिनियम के तहत शासकीय समापक:** कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार शासकीय समापकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है तथा ये उच्च न्यायालयों से जुड़े होते हैं। ये अनिवार्य समापन के तहत कम्पनी के प्रभारी हैं।

3.02. **नोएडा स्थित महानिदेशक कारपोरेट कार्य सहित क्षेत्रीय निदेशक:** महानिदेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय तथा सारे देश में फील्ड संरचनाओं के मध्य सम्पर्क की है। क्षेत्रीय निदेशक अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार तथा शासकीय समापक कार्यालयों का निरीक्षण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं।

4. **अन्य व्यय:** इसमें कम्पनी विधि बोर्ड, गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय, राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल तथा प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल पर होने वाले व्यय का प्रावधान है।

5. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए):** यह संस्थान जानकारी प्रबंधन, भागीदारी तथा समस्या समाधान द्वारा कारपोरेट विकास, सुधारों व विनियमनों में मदद के लिए एक विचारक मंडल, क्षमता निर्माण व सेवा सुपुर्दगी के रूप में कार्य करता है